



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम

दिनांक 04.09.2024

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम ने धोखाधड़ी कर फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि बनाकर दुकानदारों के नाम से बैंक अकाउन्ट खोलकर अपना फर्जी मो0नं0 उन खातों में रजिस्टर्ड कर उनसे लोन लेने वाले व दुकानदारों के पेटिएम क्यूआर कोड बदलकर घटना करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 48,040 हजार रुपये नकद, 03 मोबाइल फोन, 08 डेबिट कार्ड, 02 फिंगर स्कैनिंग डिवाइस, 03 कूटरचित आधार कार्ड, 02 कूटरचित पैनकार्ड, 02 आईकार्ड पेटिएम, 01 आईकार्ड कोटक बैंक, 12 फर्जी सिम, 51 प्लास्टिक व चिपकाने वाले क्यूआर कोड, पेटिएम साउन्ड बॉक्स मशीन, 02 चार्जर व एक बैग बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 02.09.2024 को थाना साइबर क्राइम पर वादी आसिफ पुत्र शरीफ निवासी गांव काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि ग्राम काठा स्थित उसकी दुकान पर अज्ञात अभियुक्त आये एवं उनके द्वारा पेटिएम की



केवाईसी के बहाने उसका मोबाइल फोन लेकर उसपर कोटक बैंक का खाता खोलकर व उसमें अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर कर उसके पेटिएम पर 2,60,000 रुपये लोन लेकर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0स0 18/24 धारा 318(4) बीएनएस व धारा 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 02.09.2024 को थाना साइबर क्राइम पर वादी सतीश कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिल्ली-सहरानपुर रोड कस्बा बागपत स्थित उसकी दुकान पर अभियुक्त आये एवं उनके द्वारा पेटीएम की केवाईसी के बहाने उसका मोबाइल फोन लेकर उसमें वादी का ऑनलाइन कोटक बैंक का खाता खोलकर उसमें अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर कर उसके पेटीएम पर 3,60,000 रुपये लोन लेकर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिये। इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 17/24 धारा 318(4) बीएनएस व धारा 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के आदेशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में जनपद बागपत में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि बनाकर दुकानदारों के नाम से बैंक अकाउन्ट खोलकर अपना फर्जी मो0नं0 उन खातों में रजिस्टर्ड कर उनसे लोन लेने वाले व दुकानदारों के पेटीएम क्यूआर कोड बदलकर घटना करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 48,040 हजार रूपये नकद, 03 मोबाइल फोन, 08 डेबिट कार्ड, 02 फिंगर स्कैनिंग डिवाइस, 03 कूटरचित आधार कार्ड, 02 कूटरचित पैनकार्ड, 02 आईकार्ड पेटीएम, 01 आईकार्ड कोटक बैंक, 12 फर्जी सिम, 51 प्लास्टिक व चिपकाने वाले क्यूआर कोड, पेटीएम साउन्ड बाक्स मशीन, 02 चार्जर, एक बैग बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1-मौहम्मद अजीज पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी ग्राम खैराबाद पोस्ट खैराबाद थाना खैराबाद सीतापुर।

हाल पता संगम विहार थाना वजीराबाद दिल्ली।

2-लक्ष्य पुत्र नवीन कुमार निवासी पटेल मार्ग नियर रोहन मोटर्स थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।

3-इकरामुल हक उर्फ राजा पुत्र मौ0 मासूम निवासी दौलतनगर पावी सादकपुर लोनी थाना ट्रोनिकासिटी जनपद गाजियाबाद ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम सबसे पहले फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड तैयार कर बैंक में अपना फर्जी खाता खुलवाते थे और इन दस्तावेज से एक सिम लेते थे जिसको इस फर्जी खाते में रजिस्टर्ड करवाते थे । हम दुकानदारों के पास जाकर दुकान पर लगे पेटीएम व पेटीएम क्यूआर कोड से सम्बन्धित शिकायतों के बारे में जानकारी करते थे, फिर उनकी पेटीएम केबाईसी करने के नाम पर उनकी दुकान पर जाते थे और उन दुकानदारों से उनके आधार कार्ड, पैनकार्ड, मोबाईल लेकर बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से उनका ऑनलाईन खाता खोलकर उसमें अपना फर्जी मोबाईल नं0 रजिस्टर्ड कर पेटीएम से उस खाते में उनकी लिमिट के हिसाब से लोन करवाकर उस लोन को अपने पहले से खोले गये फर्जी खातों में नेटबैंकिंग के माध्यम से ट्रान्सफर कर आपस में बांट लेते थे और इसके साथ ही दुकानों पर लगे क्यूआरकोड स्कैनर को चेंज कर अपना क्यूआरकोड रख देते थे, जिससे दुकानों पर आने वाला रूपया हमारे फर्जी खातों में आता रहता था ।

बरामदगी का विवरण-

- 48,040 हजार रूपये नकद ।
- 03 मोबाईल फोन ।
- 08 डेबिट कार्ड ।
- दो फिन्गर स्कैनिंग डिवाइस ।
- 03 कूटरचित आधार कार्ड ।
- 02 कूटरचित पैनकार्ड ।
- 02 आईकार्ड पेटीएम ।
- 01 आईकार्ड कोटक बैंक ।
- 12 फर्जी सिम ।
- 51 प्लास्टिक व चिपकाने वाले क्यूआर कोड ।

- पेटीएम साउन्ड बॉक्स मशीन ।
- 02 चार्जर ।
- एक बैग ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री प्रदीप ढौडियाल थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 2-नि0 श्री सुधीर कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री राघवेन्द्र कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 460 मनीश कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 640 उमेश कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 6-का0 229 देवेश कसाना थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 7-का0 986 प्रशान्त यादव थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 8-का0 992 सौरभ चौहान थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 9-का0 1073 शिवम चतुर्वेदी थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी गजेन्द्र व रवि उर्फ अरविन्द प्रत्येक को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-गजेन्द्र पुत्र टीकम सिंह निवासी मुकीमपुर थाना पिलखुआ जनपद गाजियाबाद व 2- रवि उर्फ अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश निवासी रामराजपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 21/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र व रवि उर्फ अरविन्द प्रत्येक को 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक:- 04.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान डकैती की योजना बनाते हुए 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 3 अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त

विवरण/कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस
अधीक्षक बागपत
निर्देशन में बागपत
पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम



हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान डकैती की योजना बनाते हुए 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 3 अवैध चाकू बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0-237/24 धारा 310(4)/310(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-अभिषेक पुत्र सुनील निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 2-तरुण पुत्र स्व0 अशोक निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 3-अर्जुन पुत्र विक्रम निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 4-कासिम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी अहमदनगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ ।

- 5-अलीशान पुत्र हामिद निवासी अहमदनगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ ।
6-रिजवान पुत्र इस्लामू निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
7-आवेश पुत्र जान मौहम्मद निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्दकिशोर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
3-है0का0 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6-का0 399 राहुल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
7-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
8-का0 995 अभय प्रताप थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
9-का0 395 ललित रौसा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 04.09.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 217/24 धारा 191(3)/115(2)/352/
351(2)/127(2)/76/3(5)/118(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2024 को थाना छपरौली पर वादी संदीप पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों जमील पुत्र निजामुद्दीन निवासी लूम्ब थाना छपरौली



जनपद बागपत व अन्य 17 अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिजनों के साथ लाठी व डन्डो से मारपीट की व बदतमीजी की । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 217/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/127(2)/76/3(5)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 217/24 धारा 191(3)/115(2)/352/351(2)/127(2)/76/3(5)/118(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 28.08.2024 को थाना छपरौली पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1-जमील पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत, 2- आसू पुत्र यामीन निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत, 3-शहजाद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत, 4-महरबान पुत्र हमीद उर्फ मिद्दा निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शमीम पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली ।
- 2- का0 524 सौपाल थाना छपरौली ।
- 3- का0 511 धर्मेद्र थाना छपरौली ।
- 4- का0 976 लवकुश थाना छपरौली ।





प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 04.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अनुज उर्फ लाधी पुत्र कृष्णपाल निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-राहुल पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 04.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

सुशील पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।